

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 मार्च 2014—फाल्गुन 14, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2014

क्र. 4048-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 5 मार्च, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१४

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१४

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा १०-क का संशोधन.
५. धारा १४ का संशोधन.
६. धारा २३ का संशोधन.
७. धारा ५७ का संशोधन.
८. अनुसूची-२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१४

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ के उपबंध १ अप्रैल, २०१३ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम की धारा ६ के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ग) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (फ) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (छह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(छह) अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट मदिरा के विक्रय के लिए किसी व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने योग्य मूल्यवान प्रतिफल की रकम, जहां वह मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) के साथ पठित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों के नियम सोलह के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, वहां वह न्यूनतम विक्रय कीमत के बराबर होना समझी जाएगी.”.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(५) अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि ५ वर्ष होगी परन्तु ६५ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी, और अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं.”.

धारा १०-क का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १०-क में, उपधारा (३) में, शब्द “पांच करोड़ रुपए” के स्थान पर, शब्द “ऐसी सीमा जैसी कि विहित की जाए,” स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१ क छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१क ज) ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट सिगार, चुर्रुट, सिगरेट, तम्बाकू की सिगारिल्लो, बीड़ी, तथा अन्य निर्मित तम्बाकू उत्पाद जिसमें गुड़ाकू और पान मसाला सम्मिलित है, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किए गए सिगार, चुर्रुट, सिगरेट, तम्बाकू की सिगारिल्लों, बीड़ी तथा अन्य निर्मित तम्बाकू उत्पाद, जिसमें गुड़ाकू और पान मसाला सम्मिलित है, का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.”.

६. मूल अधिनियम की धारा २३ में,—

धारा २३ का संशोधन.

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द “विनिर्धारक” का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) कोई भी व्यापारी या व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में, धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपील बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए या उपसंजात होने के लिए हकदार है या अपेक्षित किया गया है, उस स्थिति को छोड़कर जबकि वह धारा ४३ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए अपेक्षित किया गया है, उस निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में प्राधिकृत किए गए किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हाजिर या उपसंजात हो सकेगा जो उसका संबंधी है या उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति है या विधि व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या कर विधि व्यवसायी है.”

(तीन) उपधारा (५) और (६) में जहां कहीं शब्द “व्यापारी” आया हो, वहां शब्द “व्यापारी या व्यक्ति” स्थापित किए जाएं.

७. मूल अधिनियम की धारा ५७ में,—

धारा ५७ का संशोधन.

(एक) उपधारा (२) में, तृतीय परन्तुक में, दो बार आने वाले शब्द “यथास्थिति, प्रवेश करने या छोड़ने” के स्थान पर, शब्द “प्रवेश करने” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१५) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि परिवहनकर्ता परेषक, परेषिती या माल के संबंध में उपधारा (२) के खण्ड (घ) के अधीन उससे अपेक्षित जानकारी ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, देने में असफल रहता है या जारी दस्तावेजों के साथ माल का परिवहन करता है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि इस प्रकार परिवहन किए गए माल का विक्रय उसके द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में कर दिया गया है और वह इस अधिनियम के अधीन उन मालों के लिए कर के भुगतान का दायी एक व्यापारी समझा जाएगा, और यथास्थिति, जांच चौकी अधिकारी या उपधारा (५) के अधीन सशक्त अधिकारी इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के साथ-साथ उन मालों के लिए कर उद्ग्रहीत करेगा.”

८. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में, भाग-तीन क में, अनुक्रमांक ६ के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची-२ का संशोधन.

“७. सिगार, चुरुट, सिगरेट और तम्बाकू की सिगारिल्लो, बीड़ी, तथा अन्य विनिर्मित तम्बाकू उत्पाद जिसमें गुड़ाकू और पान मसाला सम्मिलित है.” २७”

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन.

मदिरा के विक्रय मूल्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने, अपीलीय प्राधिकारी और अपीली बोर्ड के समक्ष मामलों की सुनवाई के लिये चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा कर विधि व्यवसायी की उपस्थिति, तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने और कुछ अन्य उपबंधों को युक्तियुक्त करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : १ मार्च, २०१४ . .

जयंत कुमार मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन.

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड १, ३, ४ तथा ५ के द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी प्रस्थापनाएं की जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं :—

खण्ड १ : इस खण्ड के उपखण्ड (२) की मद (ग) द्वारा संशोधन अधिनियम की धारा २ तथा ६ को छोड़कर शेष उपबंध प्रवृत्त होने की तारीख अधिसूचित किए जाने;

खण्ड ३ : इस खण्ड के द्वारा अपील बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और सेवा की अन्य शर्तें विहित करने;

खण्ड ४ : इस खण्ड के द्वारा धारा १०-क की उपधारा (३) के अधीन कर दायित्व सीमा विहित करने; तथा

खण्ड ५ : इस खण्ड के द्वारा आगत कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा किए जाने एवं कालावधि विहित किए जाने; के संबंध में नियम बनाए जाएंगे. उपर्युक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.